

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03 / विविध-07-32/12.....६८६१ / रॉची, दिनांक : २६-११-१२ /

प्रेस विज्ञप्ति

जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कर्त्तव्य अभियंता जो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बाह्य विभागों में पदस्थापित हैं, को इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निदेश दिया जाता है कि वे अपना अद्यतन बायोडाटा 10 दिनों के अन्दर विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जो कर्त्तव्य अभियंता इस निदेश का अनुपालन समर्पय नहीं करेंगे और जिनका पूर्व से अद्यतन बायोडाटा विभाग में उपलब्ध नहीं रहेगा, वे सेवा में नहीं हैं, ऐसा माना जायेगा एवं उनकी सेवा समाप्ति हेतु विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

मेरा नाम
२६/११/१२
(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)